शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
क्र.प्रति. नं. 4848
दिनांक 14.11.22

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्त क्रमांक 7195
दिनांक 11/11/22

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग

विषय :- प्रधानमंत्री अवार्ड, 2022 हेतु ऑन–लाइन नोमिनेशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक D.O. No.K-11025/13/2022-AR-DARPG (7911) दिनांक 13.10.2022 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाने वाला प्रधानमंत्री अवार्ड, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित 05 श्रेणियों में प्रदान किया जाना है:–

1. Promoting Swachh Jal (Clean Jal) through Har Ghar Jal Yojana
2. Promoting Swasth Bharat (Healthy Bharat) through Health & Wellness Centres.
3. Promoting Quality education with an equitable and inclusive classroom environment through Samagra Shiksha.
4. Holistic Development through Aspiration District Program-overall progress with special focus on saturation approach.
5. Innovations.

अवार्ड की विस्तृत स्कीम पी.एम. अवार्ड पोर्टल https://pmawards.gov.in पर उपलब्ध है एवं ई–मेल द्वारा भी भिजवायी जा रही है। प्रधानमंत्री अवार्ड हेतु ऑन–लाइन नोमिनेशन की अंतिम दिनांक 28 नवम्बर, 2022 है। कृपया अवार्ड स्कीम अनुसार निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों में ऑन–लाइन नोमिनेशन करने का श्रम करावे ताकि प्रधानमंत्री अवार्ड, 2022 में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अशा.टीप. कमांक: प. 2(3)प्रसु/अनु–1/2021
जयपुर, दिनांक: 07.11.2022

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक:–एफ–7 (4) विविध /अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/ 636 दिनांक: 22 नवम्बर, 2022

पृष्ठांकित प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प. 10 (13) शिक्षा/ग्रुप–3/2020 दिनांक 16.11.2022 के क्रम में ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान उपरोक्त पृष्ठांकित पत्र अनुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

(डॉ0 शैला महान)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)